संख्या:66/2026/567/35-4-2026/35-4002(003)/64/2026

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शाहजहांपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 30 मार्च, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1018/त्व०आ०वि०यो0/2025-26 दिनांक 15.3.2026, सं0-1019/त्व०आ० वि० यो0/2025-26 दिनांक 15.3.2026, सं0-1022 / त्व० आ० वि० यो० / 2025-26 दिनांक15.3.2026,सं०-1020 / त्व० आ० वि० यो० / 2025-26 दिनांक15.3.2026, सं0-1017/त्व०आ०वि०यो0/2025-26 दिनांक 15.3.2026, सं0-1016/त्व०आ०वि०यो0/2025-26 दिनांक 15.3.2026, सं0-1021/त्व०आ०वि०यो०/2025-26 दिनांक15.3.2026, सं0-1012/त्व०आ०वि०यो0/2025-26 दिनांक 13.3.2026, सं0-1010/त्व०आ०वि०यो0/2025-26 दिनांक 13.3.2026, सं0-1011/त्व०आ०वि०यो०/2025-26 दिनांक 13.3.2026 के संदार्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-शाहजहांपुर में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रु. 5092.88 लाख (रूपये पचास करोड़ बान्बे लाख अट्ठासी हजार मात्र जी०एस०टी० सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 2425.00 लाख (रूपये चौबीस करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उनके सामने इंगित की गयी है:-

(लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	अनुमोदित लागत	अवमुक्त धनराशि	कार्यदायी संस्था
1	विकास खण्ड कांट के ग्राम सरथौली में शारदा ब्रान्च नहर पर महिपाल सिंह के घर के सामने पुलिया निर्माण कार्य।	-	31.06	15.00	ग्रा0अभि0वि0
2	विकास खण्ड ददरौल के ग्राम हरनोखा में रामबाबू के घर से खिरिया सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.70	59.1	28.00	ग्रा0अभि0वि0
3	विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम ढुकुरीकला सम्पर्क मार्ग से ढुकुरी खुर्द तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.512	45.34	22.00	ग्रा0अभि0वि0
4	विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम पट्टी जुझार/मदरौली में वेदप्रकाष पाठक के घर से सत्यपाल सिंह के घर तक लगभग तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.51	41.2	20.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5	विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम पड़री में रामवीर सिंह के घर के पास से शहीद सुधीर सिंह के स्मृति स्थल होते हुये यश पाल सिंह पूर्व प्रधान के घर तक तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.50	40.61	19.00	ग्रा0अभि0वि0
6	विकास खण्ड कांट में ककरघटा-टांडा पर्वतपुर मुख्य मार्ग से अरथुआ में शिवराज सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.71	65.44	31.00	ग्रा0अभि0वि0
7	विकास खण्ड भावलखेड़ा के ग्राम साहजापुर में मुख्य मार्ग से इन्द्रपाल भेजवाल के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.50	38.09	18.00	ग्रा0अभि0वि0
8	विकास खण्ड ददरौल के ग्राम बन्थरा में राष्ट्रीय राज मार्ग से यज्ञशाला होते हुये दिनेश सिंह के मकान तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.57	45.99	22.00	ग्रा0अभि0वि0
9	विकास खण्ड ददरौल के ग्राम खानपुर में रामवीर सिंह के घर से नहर पुलिया तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.50	39.72	19.00	ग्रा0अभि0वि0
10	विकास खण्ड भावलखेड़ा के ग्राम रौरा में धर्मप्रकाश बाबा स्थल से नन्दू के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.47	43.61	21.00	ग्रा0अभि0वि0
11	विकास खण्ड ददरौल में गुलामखेड़ा गंधार मुख्य मार्ग से सहसपुर सिमरिया गांव तक इण्टलॉकिंग कार्य।	0.80	49.61	24.00	ग्रा0अभि0वि0
12	ब्लाक खुटार में खुटार से बण्डा रोड पिपरिया मोड़ के उत्तर कृष्णा कोल्ड स्टोर के पूरव से उत्तर की ओर इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.20	20.91	10.00	ग्रा0अभि0वि0
13	ब्लाक बण्डा मानपुर लिंक रोड बाजारगंज सिकरहना रोड तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	1.10	98.89	47.00	ग्रा0अभि0वि0
14	ब्लाक पुवायां में ग्राम विक्रमपुर से खजुरिया तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.95	87.82	42.00	ग्रा0अभि0वि0
15	ब्लाक खुटार में ग्राम बढ़ाईपुर मोड़ से ग्राम भीखमपुर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	1.00	75.96	36.00	ग्रा0अभि0वि0
16	ब्लाक बण्डा में सिंघापुर पनई जू0हा0 स्कूल से कल्याणपुर धरमाई तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.73	65.44	31.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

17	ब्लाक बण्डा बरीबरा कॉलोनी से पूरव फगुनहाई मुख्य मार्ग तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.93	67.05	32.00	ग्रा0अभि0वि0
18	ब्लाक बण्डा के ग्राम रनमस्तपुर बुजुर्ग से मानपुर गौटिया तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	1.00	91.76	44.00	ग्रा0अभि0वि0
19	ब्लॉक निगोही ग्राम अजीजपुर से अल्हादादपुर तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	2.05	150.72	72.00	ग्रा0अभि0वि0
20	ब्लॉक निगोही ग्राम भवानीपुर से बनकिया मन्दिर तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	0.85	76.77	37.00	ग्रा0अभि0वि0
21	ब्लॉक मिलहर के ग्राम फत्तेपुर बुजुर्ग से शेरगढ सम्पर्क मार्ग डामर रोड़ से ताल्बीपुर दियूरिया नहर की पुलिया तक डामरीकरण का निर्माण कार्य।	1.70	138.73	67.00	ग्रा0अभि0वि0
22	ब्लॉक तिलहर के ग्राम सुल्तापुर में हरेन्द्र के मकान से ग्राम भूड़ेली तक इन्टरलॉकिंग कार्य।	1.30	129.24	62.00	ग्रा0अभि0वि0
23	एन0एच 30 के किनारे स्थित रयात्री शेड से होते हुये कुसक ग्राम की तरफ इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.60	54.33	26.00	ग्रा0अभि0वि0
24	एन0एच0 30 के किनारे ग्राम कसरक में यात्री शेड से कुसक गांव की तरफ आर0सी0सी0 कवर्ड नाला निर्माण कार्य।	0.60	35.72	17.00	ग्रा0अभि0वि0
25	वि0ख0 जैतीपुर के ग्राम जैतीपुर में कटहा रोड से प्रा0 स्वा0 केन्द्र की तरफ इण्टरलॉकिंग एम0डी0 एग्रो0 को जोड़ते हुये व पुलिया निर्माण।	0.50	36.91	18.00	ग्रा0अभि0वि0
26	विकास खण्ड जैतीपुर में कटहा रोड से प्रा0 स्वा0 केन्द्र की तरफ नाला आर0सी0सी0 कर्वड निर्माण कार्य।	0.50	37.84	18.00	ग्रा0अभि0वि0
27	विकास खण्ड जैतीपुर में खेड़ा बझेड़ा गढ़ियारंगीन मार्ग पर स्थित ठा0 रामपाल सिंह मार्केट से पंचायत घर होते हुये षिव मन्दिर यात्री विश्राम ग्रह को जोड़ते हुये गढ़िया रंगीन मुख्य मार्ग तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.50	34.26	16.00	ग्रा0अभि0वि0

http://shasanadesh.up.gov.in

28	विकास खण्ड खुदागंज के कटरा जैतीपुर मार्ग से ग्राम सिउरा में नहर पुलिया से मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.60	53.74	26.00	ग्रा0अभि0वि0
29	विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम धियरई से भगवानपर के मध्य डवरी नाला पुलिया निर्माण कार्य।	-	53.24	26.00	ग्रा0अभि0वि0
30	विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम धियरईया में गांव के पष्चिम साइड भगवानपुर की रास्ता पर पुलिया निर्माण।	-	39.51	19.00	ग्रा0अभि0वि0
31	विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम धूमगढ़ में प्राथमिक पाठषाला से मढईया के मध्य पुलिया निर्माण।	-	24.94	12.00	ग्रा0अभि0वि0
32	विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम रसीदपुर में गांव के दक्षिण डवरी नाला पर पुलिया निर्माण।	-	49.94	24.00	ग्रा0अभि0वि0
33	विकास खण्ड खुदागंज के ग्राम सूथा से गोरीखेड़ा के मध्य पुलिया निर्माण।	-	26.18	13.00	ग्रा0अभि0वि0
34	विकास खण्ड मदनापुर के ग्राम पंचायत मोहनिया के ग्राम गाजीपुर से भगवानपुर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.50	61.15	29.00	ग्रा0अभि0वि0
35	वि0ख0 मिर्जापुर के ग्राम सौनिक में सम्पर्क मार्ग से सरला देवी के ट्यूबेल तक इण्टरलॉकिंग व नाली कार्य।	1.75	159.85	77.00	ग्रा0अभि0वि0
36	वि0ख0 तिलहर ग्राम लखोहा में रूस्तम के मकान से हरिनन्दन के मकान तक इण्टरलॉकिंग व नाली कार्य।	0.60	64.2	31.00	ग्रा0अभि0वि0
37	वि0ख0 तिलहर के ग्राम बड़ेपुर में तिराहे से नहर की झाल तक इण्टरलॉकिंग व नाली कार्य।	1.00	86.07	41.00	ग्रा0अभि0वि0
38	वि0ख0 सिंधौली के ग्राम बबरा से महासिर की सीमा तक इण्टरलॉकिंग व नाली कार्य।	0.77	66.99	32.00	ग्रा0अभि0वि0
39	वि0ख0 निगोही के ग्राम गुरूगवां में प्रा0वि0 से ब्रम्हदेव के स्थान तक इण्टरलॉकिंग व नाली कार्य।	0.60	42.42	20.00	ग्रा0अभि0वि0
40	ग्राम शाहजापुर में नहर पुलिया से पुराने डाकघर तक इण्टरलॉकिंग व नाली कार्य।	0.60	35.05	17.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

41	ग्राम चंदगोही देवईयापुर में डामर रोड से कूडादान तक इण्टरलॉकिंग व नाली कार्य।	0.60	53.75	26.00	ग्रा0अभि0वि0
42	वि0ख0 सिंधौली के ग्राम बढेला से ग्राम नवादा सोनवर्षा तक डामर सड़क का नवनिर्माण।	2.00	156.24	75.00	ग्रा0अभि0वि0
43	वि0ख0 सिंधौली के ग्राम महमूदापुर में सैजना पुल से महूदापुर स्कूल तक डामर सड़क का नव निर्माण।	1.10	61.01	29.00	ग्रा0अभि0वि0
44	वि0ख0 सिंधौली के ग्राम पंचायत भटपुरा रसूलपुर से महाउ महेष तक डामर सड़क का नव निर्माण।	1.96	131.59	63.00	ग्रा0अभि0वि0
45	वि0ख0 निगोही ग्राम विक्रमपुर चकौरा से ग्राम भुड़िया सभा तक डामर सड़क का नव निर्माण।	2.00	154.9	74.00	ग्रा0अभि0वि0
46	ग्राम अगौना बुजुर्ग में कमलेष त्रिवेदी के घर से रामप्रकाष दीक्षित के मकान होते हुये अरून त्रिवेदी के मकान के आगे तक इण्टरलॉकिंग व नाली वि0ख0 पुवायां।	0.50	63.18	30.00	ग्रा0अभि0वि0
47	बण्डा में बिलसन्डा मुख्य मार्ग पर पुराना सत्संग भवन के पास से कृष्णा नगर कलोनी के अन्दर इण्टरलॉकिंग वि0ख0 बण्डा।	0.76	95.05	46.00	ग्रा0अभि0वि0
48	कटरा में नेषनल हाईवे-30 से रामनगर कॉलोनी/पार्क ऐवेन्यू के अन्दर इण्टरलॉकिंग नगर पंचायत कटरा।	0.50	58.37	28.00	ग्रा0अभि0वि0
49	रेहरिया डामर रोड से बद्रीपुर हदीरा ग्राम में ब्रजमोहन के मोटर तक डामर वि0ख0 पुवायां।	0.80	64.84	31.00	ग्रा0अभि0वि0
50	ग्राम बेला से फरेन्दा मार्ग तक इण्टरलॉकिंग वि0ख0 पुवायां।	0.70	52.74	25.00	ग्रा0अभि0वि0
51	ग्राम चांदपुर में प्रेमनारायण के घर से देवस्थान तक इण्टरलॉकिंग वि0ख0 खुटार।	0.50	55.41	27.00	ग्रा0अभि0वि0
52	ग्राम सिहुरा खुर्द कलां में शिव कुमार शर्मा के घर से नंदलाल कुषवाहा के घर के आगे तक इण्टरलॉकिंग वि0ख0 खुटार।	0.50	63.22	30.00	ग्रा0अभि0वि0
53	ग्राम कुइंया महोलिया में शहीद उधम सिंह स्कूल से स0 दलजीत सिंह के फार्म तक डामर रोड वि0ख0 बण्डा।	0.60	47.91	23.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

54	विकास खण्ड मिर्जापुर के ग्राम मंशनगला मुख्य मार्ग से प्राथमिक विद्यालय की ओर इण्टरलॉकिंग का निर्माण।	0.70	90.05	43.00	ग्रा0अभि0वि0
55	विकास खण्ड मिर्जापुर के ग्राम बुढौरा शेरगंज मार्ग से शेरगंज तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण।	0.50	42.11	20.00	ग्रा0अभि0वि0
56	विकास खण्ड जलालाबाद के जलालाबाद चौकी मार्ग से नारायनपुर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.60	54.29	26.00	ग्रा0अभि0वि0
57	विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम कटकिया से मनोरथपुर सहसोवारी तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण।	0.70	67.37	32.00	ग्रा0अभि0वि0
58	विकास खण्ड कलान के ग्राम नया गांव से सहवेगपुर तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण।	0.60	55.48	27.00	ग्रा0अभि0वि0
59	विकास खण्ड कलान के ग्राम गढ़िया छवि मुख्य मार्ग से सिरसा नगला तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण।	0.55	44.09	21.00	ग्रा0अभि0वि0
60	विकास खण्ड कलान के ग्राम ढका लालपुर से चिता नगला तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण।	0.70	68.07	33.00	ग्रा0अभि0वि0
61	विकास खण्ड कलान के ग्राम गढ़िया छवि मार्ग से गुन्दाहा तक इण्टरलॉकंग का निर्माण।	0.55	41.67	20.00	ग्रा0अभि0वि0
62	विकास खण्ड जलालाबाद में करनापुर की पुलिया से मोहददीनपुर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण।	0.60	39.82	19.00	ग्रा0अभि0वि0
63	ग्राम मोहनपुर में विकास खण्ड कांट (काट-मदनापुर) मुख्य मार्ग के दोनो तरफ पटरी एवं नाला निर्माण कार्य।	0.60	48.83	23.00	ग्रा0अभि0वि0
64	विकास खण्ड कांट के अन्तर्गत काट रोड गंगा नगर बौराह से ग्राम मितेपुर तक इण्टरलॉकिंग कार्य निर्माण।	1.11	80.71	39.00	ग्रा0अभि0वि0
65	विकास खण्ड काट के अन्तर्गत ग्राम हरीउरा से ग्राम तिलोकपुर तक इण्टरलॉकंग कार्य।	2.16	177.35	85.00	ग्रा0अभि0वि0
66	बंथरा रेलवे स्टेशन बख्तियारपुर रोड पर पीर बाबा की मजार से ग्राम घन्धोरा के गर्रा नदी पुल तक इण्टरलॉकंग कार्य।	1.50	123.61	59.00	ग्रा0अभि0वि0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

67	निगोही रोड पर रेलवे फाटक रोग्राम डभौरा हनुमान मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग कार्य।	0.27	18.86	9.00	ग्रा0अभि0वि0
68	विकास खण्ड ददरौल ग्राम नौगवां से अजीजपुर तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण।	0.50	33.31	16.00	ग्रा0अभि0वि0
69	आवास विकास कालोनी बरेली मोढ एवं काशीराम कालोनी मुख्य मार्ग से डेग रोड जोड़ने हेतु पक्की पुलिया का निर्माण कार्य।	-	20.89	10.00	ग्रा0अभि0वि0
70	वार्ड संख्या 09 सुभाषनगर में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	-	113.00	54.00	नगर निगम
71	वार्ड संख्या 30 में श्यामतगंज गौटिया में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	-	113.00	54.00	नगर निगम
72	वार्ड संख्या 06 में अजीजगंज में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	-	113.00	54.00	नगर निगम
73	ग्राम पंचायत शाहबाजनगर में सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	-	111.88	54.00	ग्रा0अभि0वि0
74	ग्राम भावलखेडा में रामदत्त इन्टर कालेज के सामने तथा श्री जयप्रकाष प्रधान की निषानदेही पर सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य।	-	111.88	54.00	ग्रा0अभि0वि0
	योग:	**50.86**	**5092.88**	**2425.00**	

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त कार्यों में से **क्रमांक-70 से 74 तक के कार्यों पर होने वाला व्यय रू0 2,70,00,000 (रू0 दो करोड़ सत्तर लाख मात्र) को अनुदान संख्या-40 के बजट के लेखाशीर्षक** 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305- सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे तथा शेष कार्यों पर होने वाले व्यय रू0 21,55,00,000 (रू0 इक्कीस करोड़ पचपन लाख मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 में नियोजन विभाग की अनुदान संख्या-40 के आय व्ययक के **लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03- त्वरित आर्थिक विकास योजना-0301-ग्रामीण क्षेत्रों में नयी सड़कों के लिये एकमुश्त व्यवस्था- 24-वृहद निर्माण कार्य** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या:66/2026/567(1)/35-4-2025/35-4002(003)/64/2026 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डायुक्त, बरेली मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहांपुर।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन,नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, शाहजहांपुर।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, शाहजहांपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।